

ई0मेल

प्रेषक:

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

✓ राज्य के सभी
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 13/102-2023 पी0आर0टी0(ए.आर.टी.)(2)
दिनांक पंचकूला 16/3/2024

विषय: वर्ष 2017 में लगे पी0आर0टी0 अध्यापकों को स्कूल अलॉट करने उपरान्त
कार्यभार मुक्ति व कार्यग्रहण करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के आदेश क्रमांक 13/102-2023 पी0आर0टी0(ए.आर.टी.)(2) दिनांक 18.10.2023, 23.10.2023 व 15.03.2024 की निरन्तरता में।
विषयांकित मामले आपको सूचित किया जाता है कि निदेशालय के उक्त आदेश दिनांक 18.10.2023, 23.10.2023 व 15.03.2024 के तहत विज्ञापन क्रमांक 2/2012 के तहत नियुक्त 2017 बैच के अध्यापकों को स्थाई जिला आवंटित किया गया था। विभाग द्वारा उक्त अध्यापकों से ऑनलाईन स्कूल ऑपेशन मांगते हुए स्कूल आवंटित कर दिये गये हैं। बल्क आदेशों की प्रति विभागीय वेब साईट पर उपलब्ध है।

अतः आपको _____ निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-अपने जिले से सम्बन्धित सभी जे0बी0टी0 अध्यापकों को तुरन्त प्रभाव से कार्यभार मुक्त व कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें तथा अध्यापक की रिलीविंग व ज्वॉइनिंग HRMS व MIS Portal पर सम्बन्धित स्कूल से अपडेट करवाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अतिथि अध्यापक अपने वर्तमान स्कूल में कार्यरत रहेंगे जब तक की अतिथि अध्यापकों को विभाग द्वारा स्पेशल स्थानान्तरण ड्राईव के माध्यम से स्कूल अलॉट नहीं किये जाते।

मामले में किसी प्रकार की देरी एवं कोताही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अधीक्षक पी0आर0टी0(ए.आर.टी.)
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।